

अंचल कार्यालय, महागामा

केश का प्रकार :-

अभिलेख संख्या :- 98/11.13

अपर समाहर्ता गोड्डा के पत्रांक 615/ रा0 दिनांक 17.05.2016 के आधार पर किया गया है जिसमें उन्होंने श्री मति राजबाला बर्मा मुख्य सचिव झारखंड सरकार द्वारा संदेहास्पद जमाबंदी की अभियान चलाकर जाँच कर समयबद्ध प्रभाव कारी कदम उठाते हुए अवैध जमाबंदी रद्द कर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेश प्राप्त है। अतः पत्र कि प्रति सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्गत करते हुए पत्र में वर्णित विन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन मांग की गई। उक्त पत्र के अनुपालन में हल्का कर्मचारी श्री शान्तेन्द्र डुब रास्व वा अंचल निरीक्षक श्री नारायण रास्व का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि मौजा पुष्पा थाना नं0 622 गैरमजरूआ खाता नं0 84/34 दाग नं0 32 रकवा 0.2.00-00 किस्म पारी कती श्री रास्व स्वतंत्र रास्व पिता सुबलाल रास्व साकिन..... के नाम से पंजी 2 में नया जमाबंदी कायम है। जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः श्री रास्व स्वतंत्र रास्व को दिनांक 28/5/16 समय 11:00 AM पूर्वाह्न में उक्त भूमि प्राप्त करने से संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति सत्यापन हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष समर्पित करने का नोटिफिक्शन निर्गत करें।

[Signature]
21/7/16

अंचल अधिकारी,
महागामा।

28/7/16

अधिकारी उपस्थित। श्री स्वतंत्र पिता सुबलाल रास्व के पुत्र प्रभात लाल उपस्थित। उन्होंने स्वतंत्र के रूप में कोई दस्तावेज सकारित नहीं किया गया है। साथ ही उन्होंने क्वाचिंग किया है कि संपूर्ण रजि. 6-0-0 डाले अधिशाखा पर किया गया है क्लेयरान्स में उनके शब्दों में कोई जमीन नहीं है पर अधिकारी दिनांक 11/8/16 को करें।

sanha

[Signature]
20/7/16

310 310

11/20/16
[Handwritten notes]

10/12/20

अभिलेख अधिनियम
कोरवापिस कर

अं. 20
10/12/20





10/12/20

अभिलेख अधिनियम

राज्य-अभिलेख-सद-प्रणाली-अंतर्गत-श्रीलंका-सद-
नाम से प्रसंगत नृमि-अर्थ-प्रतिवेदन-के-साथ
अभिलेखीय-प्रतिवेदन-प्राप्त-हुआ-है-विषय-अंत-
लोक-विषय-प्रतिवेदन-द्वारा-अर्थ-संबंध-पर-पंजी-
II-इस-को-नृमि-सक्षम-पदाधिकारी-से-प्राप्त-है-
वर्तमान-में-उक्त-नृमि-इंजीनियर-ECR-दौर-के-
आधार-द्वारा-दौर-के-अंतर्गत-है

आतः उपरोक्त-के-आलोक-में-अभिलेख
की-कार्रवाई-समाप्त-की-जाती-है

कोरवापिस

अं. 20
10/12/20


अभिलेखीय
मंत्रालय

सोचा में,

मान् अंचल अधिकारी,
महागामा।


विषय :- अवैध संदेहास्पाद वाद संख्या ...१४.../2016-17 राम.ए.१.५५.५ राम
. पिता-रघुलाल राम..... का जांच प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अवैध संदेहास्पाद वाद संख्या१४.../2016-17 राम.ए.१.५५.५ राम पिता-रघुलाल राम..... का जांच प्रतिवेदन का जांच किया जांचोपरांत पाया कि प्रश्नगत भूमि गौजा-बसुआ, थाना नं०-692 के गैरमजरुआ खाता सं०-24/3.५. के अंदर दाग नं०-32 का अंश रकवा ...०१-००-००..... धूर किस्म- परती-कदीम अंचल अधिकारी, महागामा/अनुमंडल पक्षधिकरी, मोड्डा के Mutation..... केश नं०-..... 45/1956-57..... के माध्यम से राम.ए.१.५५.५ राम पिता-..... रघुलाल राम..... को प्राप्त हुआ है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। प्रश्नगत भूमि ई०सी०एल० के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है।

अतः उपरोक्त के आलोक में उक्त जमाबंदी को सही मानते हुये अभिलेख की कार्रवाई बंद की जा सकती है। जांच प्रतिवेदन सादर सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासमाजन


10/12/22
PH
G